



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 03.11.2024

जनपद कानपुर देहात पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।

दहेज हत्या की घटना कारित करने करने वाले 02 नफर अभियुक्तगण को थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 02.11.2024 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री अहिवरन सिंह निवासी ग्राम व थाना अयाना जनपद औरैया, की बहन की दहेज हत्या के सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 0455/2024 धारा 80(2)/85 बीएनएस व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम 04 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था। थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.11.2024 को मुकदमा उपरोक्त में नामजद व वांछित अभियुक्तगण 1.रतनेश कुमार पुत्र स्व0 पुत्तिलाल उम्र 53 वर्ष 2. सैयंस उर्फ छोटू पुत्र रतनेश कुमार उम्र 24 वर्ष निवासीगण मनौरापुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को समय 10.30 बजे रसूलाबाद असालतगंज मुख्य मार्ग से जुड़ने वाले मनौरापुर रोड पर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया है। शेष अभियुक्तगण को विरुद्ध विधिक कार्यवाही प्रचलित है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

- 1.रतनेश कुमार पुत्र स्व0 पुत्तिलाल उम्र 53 वर्ष निवासी मनौरापुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।
2. सैयंस उर्फ छोटू पुत्र रतनेश कुमार उम्र 24 वर्ष निवासी मनौरापुर, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मिलन सिरोही, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।
2. हे0का0 133 सुनील कुमार, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।
3. का0 77 वीरप्पन, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात ।